फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती सुशीला बनाम विपक्षी : श्री विजय प्रकाश व अन्य

किस्म मुकदमा – 128 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या : 187 / 22

क्रमांक	कार्यवाही विवरण
	दिनांक : 14.01.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दस्तावेज पेश किये गये। शामिल फाईल रहे। प्रकरण मे विपक्षी संख्या 1, 2, 3, 5, 6 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1, 2, 3, 5, 6 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। विपक्षी संख्या 7 द्वारा जवाब पेश नही किया गया। विपक्षी संख्या 7 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण मे अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त आराजी संख्या 3781 वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के नाम व विपक्षी संख्या 1, 2, 3, 5 एवं रणजीत कुमार पुत्र सोहन के नाम खातेदारी से दर्ज है। रणजीत कुमार के फौत होने से उनके विधिक वारिसान विपक्षी संख्या 6 हैं। इसी प्रकार आराजी न. 2181 वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के नाम एवं विपक्षी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 के नाम खातेदारी से दर्ज हैं। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार विपक्षी संख्या 1 से 6 प्रार्थीया के उपयोग–उपभोग में बाधा पेदा कर रहें एवं प्रार्थनाग्रस्त भूमि को अन्य भूमि में मिलाने पर उतारू है जिससे प्रार्थी प्रार्थनाग्रस्त भूमि का सीमाकंन कराना चाहता है। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 6 अनुपस्थित रहें।

हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार हैं। प्रार्थी द्वारा कथन कहा की विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि को अन्य भूमि में मिलाने पर उतारू है जिसे प्रार्थी सीमाकंन कराना चाहता हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार हैं। खातेदार को अपनी भूमि पर पत्थरगढी करवाये जाने का पूर्ण अधिकार हैं। अतः विवाद समाप्ति के लिए प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा खेरोदा पटवार हल्का खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमाबंदी 2078–81 की खाता संख्या नया 918 की आराजी न. 3781 रकबा 0.0600 है. भूमि व खाता संख्या 919 की आराजी न. 2181 रकबा 0.0700 है. भूमि की चारो दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 1000/– एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है तो प्रार्थी कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली [illegible] शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का [illegible] प्रार्थी [illegible] करें।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 14:28:28 IST
Reason: SelfAttested